न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा.आर.ए.एस

मु0माल स0 253/2015

1–श्रीमति महेन्द्रकौर पुत्री मन्दरसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह पत्नी बलविन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी अचड़की तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) –प्रार्थीया

बनाम

1–श्रीमति भगवानकौर पत्नी मन्दरसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कीकर चक तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर

2–जगसीरसिंह पुत्र मन्दरसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कीकर चक तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर

3–राजवीरसिंह पुत्र मन्दरसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी कीकर चक तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर –अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थितिः–1–श्री रामकिशन चौधरी एडवोकेट– प्रार्थीया

:–आदेश–: दिनांकः– दिसम्बर,2015

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है कि मूल वाद 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुऐ यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया हैं। कि 15एलएनपी सैकिण्ड–बी के मु0न065 के 5.00,66के 6.05बीधा 53 के 2.00बीधा कुल 13–15बीधा खातेदारी नहरी कृषि नहरी कृषि भूमि थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 5–10–71 को हो चुकी हैं। जिसके विधिक उतराधिकारी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण तथा छिन्दरकोर पत्नी गुरदाससिंह व मृतक बग्गासिंह कुल छ है। सभी बहिस्सा बराबर के अधिकारी है।उक्त वर्णित कृषि भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय,रहन दस्तबदारी आदि किसी भी प्रकार से प्रकरण के लम्बनकाल में अन्तरित करने से निषेधित किया जावे। प्रार्थीया वकील को एक पक्षीय दिनांक9–9–15 को सुनते हुऐ विवादास्पद भूमि चक15 एलएलपी द्वितीय बी मु0न065 के 5.00बीधा मु0न066 के 6.05बीधा व म0न053 के 2.00बीधा कुल 13.05 बीधा नहरी भूमि को अप्रार्थीगण रहन बेय या अन्य तरीके से अन्तरित न करें तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करते हुऐ प्रकरण दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीयान को जरिऐ रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीयान की ओर से दिनांक 10–12–15 को कोई उपस्थित नहीं आने व एक माह रजि0 नोटिस के होने पर दिनांक 10–12–15 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुऐ वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया की बहस लिखित प्रार्थनापत्र पर आधारित थी। उन्होनें अपनी बहस में तर्क दिया कि दिनांक 9–9–15 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निणय तक कन्फर्म किया जावे।

— cont. (2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

(2) विविध 253/15

हमने प्रार्थीया के सुयोग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विवादास्पद भूमि में वादिया का हिस्सा है। हिस्से पर प्रार्थीया का कब्जा का होने से प्रथम द्रष्टया प्रकरण प्रार्थीया का बनता तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में हैं। अप्रार्थीगण के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं। अतः प्रार्थनापत्र आशिंक स्वीकार कर उक्त विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अपने हिस्से से ज्यादा का व विशिष्ट किलाजात से किसी प्रकार से रहन बैय नहीं करें । मूल वाद में प्रतिवादीगण का जबाब आने के पश्चात तनकीयात कायम होकर साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तैय किया जायेगा। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर